

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अ धि सू च ना ॥

पटना-15, दिनांक- 12.7.16

संख्या-14/प्रो० 105/2016 सा०प्र०-9623/ बिहार प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव/समकक्ष स्तर ( पे-बैंड ₹ 37,400- 67,000/-, ग्रेड पे ₹ 8,700/-), के निम्नांकित पदाधिकारियों को विभागीय परिपत्र सं०-4800 दिनांक-1.04.2016 के आलोक में अपर सचिव/ समकक्ष स्तर ( पे-बैंड ₹ 37,400- 67,000/-, ग्रेड पे ₹ 8,900/-) में अधिसूचना निर्गत की तिथि से औपबधिक प्रोन्नति दी जाती है:-


क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम	2011 का कोटि क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन
1.	श्री विनोद कुमार सिंह	407	संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, कोशी प्रमंडल, सहरसा। (अपर समाहर्ता का पद संयुक्त सचिव स्तर में उत्क्रमित)
2.	श्री केशव रंजन प्रसाद	412	विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर (होल्टिंग) कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना। (गैर संवर्गीय)
3.	श्री चन्द्रशेखर सिंह	415	महाप्रबंधक, बिहार स्टेट बिजनेस कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना। (अपर समाहर्ता का पद संयुक्त सचिव स्तर में उत्क्रमित)
4.	श्री रंजन कुमार सिन्हा	416	संयुक्त सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना।
5.	श्री चौधरी अनन्त नारायण	417	अपर समाहर्ता, जमुई। (अपर समाहर्ता का पद संयुक्त सचिव स्तर में उत्क्रमित)

2. यह प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस०एल०पी० (सी०) संख्या-29770/2015, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी।

3. उपर्युक्त सभी पदाधिकारियों द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक के लिये अपर सचिव/ समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुये उन्हें उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

4. उपर्युक्त नवप्रोन्नत पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
( कन्हैया लाल साह )

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक 14/प्रो० 105/16 सा०प्र०-9623/ पटना-15, दिनांक- 12-7-16

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ ( आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से )/महालेखाकार बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दाया निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना / सभी संबंधित

विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सभी संबंधित पदाधिकारी / प्रबंधक, आई० टी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सी०डी० तैयार कर वित्त विभाग, बिहार, पटना को भेजने हेतु /सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के सभी पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, 8 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2041  
12/7/16

सरकार के अवर सचिव ।